


हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला-176213

क्रमांक:-हिशिबो(41)पुस्तक मुद्रण शाखा/2017-33239

दिनांक:- 24-5-2017

“निविदा सूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा पेपर गोदाम अम्ब जिला ऊना में पड़े लगभग 17.203 मि०टन क्षतिग्रस्त कागज को यथास्थिति में जहां हैं, बेचा जाना है जिसके लिए प्रति मि०टन दरें आमंत्रित हैं। इच्छुक व्यापारी विषयांकित कागज का बोर्ड के गोदाम में अवलोकन करके क्रय हेतु प्रति मि०टन दर दर्शाते हुए अपनी निविदा मोहर बन्द लिफाफे में जिस पर “कागज की विक्री हेतु निविदा” अंकित हो, दिनांक 06.06.2017 अपराह्न 1.00 बजे तक सचिव, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213 के पते पर भेज सकते हैं। प्राप्त निविदायें उसी दिन सांय 3.00 बजे इच्छुक उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र व विस्तृत नियम एवं शर्तें इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक रुपये 1000/- का भुगतान करके प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र बोर्ड की बैवसाइट www.hpbose.org पर भी उपलब्ध है जिसे डाउनलोड करके उपयोग किया जा सकता है। उस दशा में रुपये 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट जोकि सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को देय हो निविदा के साथ लगाना अनिवार्य है। प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रुपये 50,000/- की फिक्स डिपोजिट रसीद जो कम से कम 6 मास के लिए वैध हो व सचिव, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के पक्ष में वंधक हो प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। “बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जाएंगी”। सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।


सचिव

निविदा प्रपत्र

कार्यालय सचिव

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला-17213

क्रमांक: हिशिबो/41/मुद्रण/2017- 33239

दिनांक: 24-5-2017

प्रेषित:

विषय:- क्षतिग्रस्त कागज की बिक्री के लिए निविदा।

महोदय,


हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा पेपर गोदाम अम्ब जिला ऊना में पड़े लगभग 17.203 मि०टन क्षतिग्रस्त कागज को यथास्थिति में जहां हैं, बेचा जाना है जिसके लिए प्रति मि०टन दरें आमंत्रित हैं। इच्छुक व्यापारी विषयांकित कागज का बोर्ड के गोदाम में अवलोकन करके क्रय हेतु प्रति मि०टन दर दर्शाते हुए अपनी निविदा मोहर बन्द लिफाफे में जिस पर “कागज की बिक्री हेतु निविदा” अंकित हो, दिनांक 06.06.2017 अपराह्न 1.00 बजे तक सचिव, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213 के पते पर भेज सकते हैं। प्राप्त निविदायें उसी दिन सांय 3.00 बजे इच्छुक उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र व विस्तृत नियम एवं शर्तें इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक रूपये 1000/- का भुगतान करके प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र बोर्ड की बैवसाइट www.hpbose.org पर भी उपलब्ध है जिसे डाउनलोड करके उपयोग किया जा सकता है। उस दशा में रूपये 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट जोकि सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को देय हो निविदा के साथ लगाना अनिवार्य है। प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रूपये 50,000/- की फिक्स डिपोजिट रसीद जो कम से कम 6 मास के लिए वैध हो व सचिव, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के पक्ष में वंधक हो प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। “बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जाएंगी”। सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

<u>क्रमांक</u>	<u>वस्तु का नाम</u>	<u>अनुमानित भार</u>
1.	पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण व कवर हेतु प्रयोग किये जाने वाला क्षतिग्रस्त कागज जो पेपर गोदाम अम्ब जिला ऊना में उपलब्ध है	17.203 मिट्रिक टन

नियम एवं शर्तः-

1. कागज क्रय हेतु दरें प्रति मि०टन अंको व शब्दों में संलग्न प्रपत्र क पर अंकित की जाएं।
2. प्रत्येक निविदा के साथ रूपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की FDR जो कम से कम 6 माह के लिए वैध हो, धरोहर राशि के रूप में सचिव, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के पक्ष में होनी चाहिए।
3. निविदायें 06-06-2017 को सांय 3.00 बजे उन इच्छुक निविदादाताओं के सामने खोली जायेगी, जो मौके पर उपस्थित होंगे।
4. निविदा में दिए गए प्रति मि०टन दर में ओवर राईटिंग नहीं मानी जाएगी। कागज "जिस हालत में है," के आधार पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पेपर गोदाम अम्ब जिला ऊना में बेचा जाएगा।
5. कागज की कीमत के अतिरिक्त 5 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर या जो दर बिक्री के समय लागू होगी, वह भी ठेकेदार को अलग से अदा करना होगा।
6. कागज की पैकिंग, तुलाई व गाड़ी तक ढुलाई इत्यादि का खर्चा ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
7. कागज की तुलाई, पैकिंग व उठाई इत्यादि का कार्य केवल कार्यालय समय में 10 बजे से 5 बजे तक ही किया जाएगा। जिस दिन कार्यालय अवकाश के कारण बन्द होगा उस दिन उपरोक्त कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।
8. कागज की तुलाई, सचिव हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा गठित कमेटी के सामने की जाएगी।
9. कागज उठाने से पहले उसकी पूरी कीमत, बिक्रीकर इत्यादि सहित पेपर गोदाम प्रभारी के पास ही जमा करवानी होगी।
10. ठेकेदार वाहनों, मज़दूरों व कण्डे आदि का प्रबन्ध स्वयं करेगा तथा तुलाई का खर्चा भी स्वयं देगा।
11. ठेकेदार बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा दिए आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

12. यदि टेकेदार निर्धारित अवधि में कागज उठाने में असमर्थ रहेगा तो उसकी धरोहर राशि जब्त करके कागज को किसी अन्य को विक्रय कर दिया जाएगा।
13. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
14. जिन विषयों के बारे में उपरोक्त शर्तों व निबन्धन में कोई प्रावधान नहीं है उनके बारे में निर्णय हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड में लागू नियमों या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
15. किसी बात पर असहमति होने पर अन्तिम निर्णय का अधिकार अध्यक्ष, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को होगा जो टेकेदार को मानना होगा।


सचिव

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला -176213
प्रपत्र 'क'

वित्तीय निविदा

कर्म संख्या	विक्रय हेतु प्रस्तावित सामग्री का विवरण	प्रति मीट्रिक टन दरें	
		अंकों में	शब्दों में
1	हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अम्ब जिला ऊना में स्थित गोदाम में पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण व प्रकाशन हेतु प्रयोग किए जाने वाले क्षतिग्रस्त कागज की विक्री		

निविदादाता के हस्ताक्षर
पूरा नाम व पता
मोबाईल नम्बर